

रूचि की अभिव्यक्ति
महाविद्यालय परिसर स्थित भवन में कैंटिन संचालन हेतु
द्वितीय (संशोधित) निविदा

निविदा क्रमांक— 116

खरसिया दिनांक 19/05/2025

निर्धारित तिथि

निविदा आवेदन का शुल्क	रु.500 (कैंटिन संचालन हेतु, वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रु. 10000 हजार
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 29.05.2025 कार्यालयीन समय तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 30.05.2025 समय 12:30 बजे अपरान्ह

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया वार्ड क्र.18 ठाकुरदिया
खरसिया जिला—रायगढ़ छ.ग.

ई-मेल—: mggovtcollegekhs@gmail.com

वेबसाइट—: mgcollegekharsia.in

Recd.

संयोजक
Dr. P. L. Patey

Sharma
19/05/25

Principal
M.G. Govt. Arts & Science College
RAIPURA (Dist. - Raigarh) C.G.

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महात्मा गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Email: mggovtcollegekhs@gmail.com

Website: www.mgcollegekhsia.in

निविदा क्रमांक 116 / जभास / 2025

खरसिया दिनांक 19/05/2025

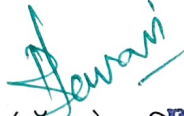
रुचि की अभिव्यक्ति

महाविद्यालय परिसर स्थित भवन में कैंटिन संचालन हेतु द्वितीय (संशोधित) निविदा आमंत्रण सूचना

महाविद्यालय परिसर स्थित भवन में कैंटीन के संचालन हेतु होटल, खानपान व्यवसाय, कैंटरिंग सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले योग्य फर्मो/एजेंसी से निर्धारित प्रारूप में फर्म के अधिकृत लेटर पैड अथवा अधिकृत स्टाम्प युक्त एवं हस्ताक्षर सहित सादे पेपर में निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरे हुए समस्त वांछित सुसंगत दस्तावेजों सहित मुहरबंद द्वितीय संशोधित निविदा आमंत्रित की जाती है। मान्यता प्राप्त स्वसहायता समूह/एन.जी.ओ. भी आवेदन कर सकते हैं। निविदा शुल्क, अमानत राशि, निविदा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है:-

निविदा आवेदन का शुल्क	रु.500 (कैंटिन संचालन हेतु, वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रु. 10000 हजार (डी.डी. द्वारा)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 29.05.2025 कार्यालयीन समय तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 30.05.2025 समय 12:30 बजे अपराह्न

उपरोक्त निर्धारित तिथि को कार्यालयीन समय तक तक निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में कार्यालय प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया 496661 जिला-रायगढ़ छ.ग. में जमा किया जा सकता है अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है। कार्यालयीन समय के बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नहीं होगा। निविदा संबंधी अन्य संशोधित विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें एवं निविदा प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाइट- mgcollegekhsia.in से download कर सकते हैं।


(डॉ. राकेश तिवारी)
Principal
M.G. Govt Arts & Science College
Raigarh (Dist. - Raigarh) C.G.

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, खरसिया जिला-रायगढ़ छ.ग.

पृ.क. 117 / जभास / 2025 खरसिया, दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. महा.परिसर के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
2. कि. शास. महाविद्यालय, रायगढ़ (चिन्हित महा.) जिला-रायगढ़ को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के सूचना पटल में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।

4. अनुविभागीय अधिकारी (लो.नि.वि.) खरसिया के सूचना पटल में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यालय खरसिया के सूचना पटल में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका खरसिया के सूचना पटल में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
7. महाविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
8. कार्यालय प्रति

Recd.

(हस्ताक्षर)

Dr. P.L. Patel.

Devar
Principal
(डॉ. राकेश विवारी)
M.G. Govt. Arts & Science College
Panchayat
Dist. - Raigarh C.C.

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, खरसिया जिला-रायगढ़ छ.ग.

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महात्मा गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Email:mggovtcollegekhs@gmail.com

Website: www.mgcollegekhsia.in

दिनांक —: 19.05.2025

महाविद्यालय परिसर स्थित भवन में कैंटिन संचालन हेतु पूर्व में जारी निविदा क्रमांक
1311/जभास/2024 खरसिया दिनांक 19.12.2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है—:

1. सफल निविदाकार को फूड लाईसेंस कार्यादेश जारी होने की तिथि से 01 माह के अंतर्गत प्रस्तुत करना होगा। उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर संचालन समिति की सहमति से तिथि में वृद्धि की जा सकेगी इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति की तिथि से 01 माह के अंतर्गत अनुबंध संबंधी शेष औपचारिकताएं पूर्ण कर वार्षिक लाईसेंस शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित तिथि/ अवधि तक राशि जमा नहीं करने पर निविदा स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
3. निविदा में पूर्व उल्लेखित खाद्य सामग्री की विक्रय दर के समसामयिक नहीं होने पर संचालनकर्ता स्थानीय प्रचलित बाजार दर/ मूल्य पर सामग्री विक्रय कर सकेगा इससे अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय नहीं कर सकेगा।
4. सफल निविदाकार द्वारा किसी भी परिस्थिति में संचालन में असमर्थता व्यक्त करने पर क्रमशः गुणानुक्रम में द्वितीय अधिकतम मूल्य के निविदाकार को अवसर दिया जायेगा इसी प्रकार क्रमशः अन्य निविदाकार को अवसर दिया जायेगा।
5. द्वितीय निविदा आमंत्रण में न्यूनतम एक निविदाकार के निविदा प्राप्त होने पर भी निविदाएं निर्धारित तिथि में खोली जा सकेगी। एक से अधिक निविदा प्राप्त होने पर पूर्व नियमानुसार प्रक्रिया की जायेगी।
6. कैंटिन संचालन हेतु शेष शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

Recd.
म.ग.ग.
Dr. P. L. Patel.


Principal
(डा. संकेत निवारि)
रायगढ़ (छ.ग.)
प्राचार्य

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, खरसिया जिला-रायगढ़ छ.ग.

वित्तीय दर

महाविद्यालय परिसर स्थित कैंटीन संचालन हेतु एकमुश्त वार्षिक दर

मैं.....आत्मज.....आयु.....

पता.....

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया जिला-रायगढ़ छ.ग.परिसर के कैंटीन संचालन हेतु आमंत्रित निविदा सूचना के तहत अपनी निविदा (वित्तीय दर) निम्नांकित अनुसार प्रस्तुत करता हूँ।

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया जिला-रायगढ़ छ.ग. परिसर के कैंटीन संचालन (आरक्षित वार्षिक लाईसेंस शुल्क रु.44400/-चवालीस हजार चार सौ मात्र	प्रस्तुत निविदा	
	वार्षिक लाईसेंस शुल्क (अंको में)	वार्षिक लाईसेंस शुल्क (शब्दों में)

- मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ और समझ ली हैं एवं वे मुझे मान्य हैं। मेरे द्वारा निविदा शर्त में निर्धारित अमानत राशि लिफाफा-ए में जमा कर दी गई है।
- यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निर्धारित समयावधि में निविदा प्रपत्र में दी गई राशि जमा करूंगा तथा अनुबंध का निष्पादन कराऊंगा। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया गया तो प्राचार्यशासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया जिला-रायगढ़ छ.ग. को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा जमा की गई अमानत राशि प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया के पक्ष में राजसात कर लेवें एवं मेरी निविदा निरस्त कर दें।

निविदाकार का हस्ताक्षर:-.....

नाम:-.....

पता:-.....

मो. नं.

दिनांक:-.....

कैंटिन संचालन हेतु निविदा के नियम एवं शर्तें

महाविद्यालय परिसर स्थित कैंटिन संचालन करने के लिए निम्नांकित शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है :-

1. शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र/ छात्राओं, स्टॉफ एवं अन्य आगंतुको के जलपान हेतु निम्नानुसार निर्धारित दरो तथा मात्रा पर खाद्य सामग्री प्रदाय करने के लिए कैंटीन संचालन हेतु अनुबंध पर आबंटन के लिए निर्धारित न्यूनतम वित्तीय क्षमता एवं अनुभव रखने वाले कैंटीन संचालक फर्म/ एजेंसी से निर्धारित प्रपत्र में इस निविदा सूचना में दी गई शर्तों के अंतर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है।

कैंटीन संचालन हेतु भावपत्र में अंकित करने हेतु, विक्रय की जाने वाली सामग्रीयों की सूची एवं प्रस्तावित दरें :-

क	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा/तादात	कीमत अधिकतम	रिमार्क
1	चाय	प्रति कप 75 मि.ली.	05	
2	काफी	प्रति कप 75 मि.ली.	10	
3	आलुगुंडा	प्रति नग 75 ग्राम	7	
4	समोसा	प्रति नग 75 ग्राम	7	
5	कचौड़ी	प्रति नग 75 ग्राम	7	
6	बड़ा	प्रति प्लेट 04 नग	20	
7	इडली/सांभर	2 नग, प्रति नग 60 ग्राम	20	
8	पोहा	प्रति प्लेट 100 ग्राम	20	
9	भजिया	प्रति प्लेट 100 ग्राम	20	
10	जलेबी	प्रति प्लेट 100 ग्राम	20	
11	मुंगोड़ी	प्रति प्लेट 100 ग्राम	20	
12	बुन्दी का लड्डू	प्रति नग 60 ग्राम	10	
13	गुलाब जामुन	प्रति नग 80 ग्राम	10	
14	रसगुल्ला	प्रति नग 80 ग्राम	10	
15	लस्सी	प्रति ग्लास 200 मि.ली.	30	
16	छोले भटूरे	एक प्लेट, दो भटूरे एवं छोला	40	
17	डोसा सांभर एवं चटनी	प्रति नग 200 ग्राम	50	
18	दही बड़ा	प्रति नग 60 ग्राम	20	
19	सांभर बड़ा	02 नग बड़ा एवं सांभर 60 ग्राम	30	
20	समोसा सहित मटर	एक प्लेट 150 ग्राम	30	
21	पानी बाटल	क्रमशः 1 लीटर, 500 मि.ली., 200 मि.ली.	MRP दर पर	
22	कोल्डड्रिंक (साफ्ट)		MRP दर पर	
23	पैकेट युक्त खाद्य सामग्री		MRP दर पर	
24	अन्य		—	

2. सफल निविदाकार कैंटीन संचालक कंडिका 01 में वर्णित खाद्य तथा पेय पदार्थों के अलावा अन्यखाद्य तथा पेय पदार्थ प्राचार्य से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर बाजार भाव पर विक्रय कर सकेगा।
3. कैंटीन संचालन महाविद्यालय परिसर खरसिया में की जायेगी। सेवा प्रदाता कैंटीन संचालक द्वारा स्वयं के व्यय पर कैंटीन संचालन हेतु आवश्यक स्टॉफ (नाबालिग नहीं) सहित सभी सामग्री cutlery, crockery, Equipment, Restaurant Furniture इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी।
4. न्यूनतम वित्तीय क्षमता एवं अनुभव :-

(1) निविदाकार अपने आवेदन के साथ अपना अथवा अपने परिवार के सदस्य यथा – पत्नी, पुत्र अथवा पिता के नाम पर फूड लाइसेंस नगरपालिका से प्राप्त लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इत्यादि (आवश्यकतानुसार) आवेदक एवं जिसके नाम पर लाइसेंस है, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, की छायाप्रति, आपराधिक एवं न्यायालीन प्रकरण नहीं होने का नोटराइज्ड षपथपत्र तथा महाविद्यालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों एवं नियमों के पालन करने का नोटराइज्ड षपथपत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। उपरोक्तानुसार सफल निविदाकार को लाइसेंस आदि अनुबंध उपरांत अधिकतम 03 महीने में जमा करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।

(3) निविदा शुल्क एवं अमानत राशि :- निविदाकार को टेक्नीकल बीड के साथ रु. 500.00 (वापसी योग्य नहीं) प्राचार्य के इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा खरसिया खाता क्र. 293501000009999 में जमा कर जमा स्लिप संलग्न करना होगा एवं अमानत राशि 10000/- (दस हजार रु. मात्र)। FDR/DD के रूप में प्राचार्य, शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया के नाम पर जमा करना होगा जिस पर वापसी में किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

5. **आरक्षित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क**—आरक्षित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क 44400 रु. (चवालीस हजार चार सौ रु. मात्र) एकमुष्ट देय होगा। निविदाएं अधिकतम अनुज्ञप्ति शुल्क के लिए आमंत्रित की गई हैं आरक्षित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क से कम राशि की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिकतम वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क उपयुक्त तर्क संगत पाये जाने पर ही निविदा विचारणीय होगी यदि दो या दो से अधिक फर्मों से प्राप्त दर समान हो तो अनुभव के आधार पर अधिक अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। दर भविष्य में परिवर्तित हो सकता है एवं कैंटिन में लगे मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली बिल का भुगतान आपको स्वयं करना होगा। प्रतिमाह बिल जमा करने की छायाप्रति कैंटीन संचालन समिति के पास जमा करना होगा, लगातार 02 माह की अवधि तक किराया का भुगतान नहीं करने पर 500/- प्रतिमाह की दर से अधिभार जमा करना होगा।
6. निविदा निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि एवं समय में वांछित समस्त दस्तावेजों सहित बंद लिफाफे में कार्यालय प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया 496661 जिला-रायगढ़ छ.ग. में जमा किया जा सकता है अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है। अपरान्ह 03:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नहीं होगी।
7. **अनुज्ञप्ति अवधि**—उपर्युक्त अनुबंध, अनुबंध दिनांक से 02 वर्ष की अवधि का होगा किन्तु महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह 01 माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। यदि निविदादाता द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करते हुए कैंटीनका संचालन सफलतापूर्वक किया जाना पाया जाये तो अनुज्ञप्ति की अवधि वार्षिक आधार पर पिछले वर्ष की अनुज्ञप्ति फीस पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ आगामी 02 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। अवधि समाप्त होने पर सेवा प्रदाता फर्म महाविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर अपनी सामग्री एवं संपत्ति संबंधित स्थान से स्वयं के व्यय पर हटा लेगा एवं प्राधिकारी को संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा।
8. किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार प्राचार्य/ कैंटीन संचालन समिति एवं आई.क्यू.ए.सी. के पास सुरक्षित है।
9. **निविदा तैयार करने एवं जमा करने का तरीका**:-

निविदा 02 लिफाफा पद्धति के अंतर्गत होगी जो निम्नांकित होगी

(क) **लिफाफा -ए** : इस लिफाफे में निविदाकार के पंजीयन प्रमाण पत्र, अपना अथवा अपने परिवार के सदस्य यथा – पत्नी, पुत्र अथवा पिता के नाम पर फूड लाइसेंस नगरपालिका से प्राप्त लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इत्यादि (आवश्यकतानुसार) आवेदक एवं जिसके नाम पर लाइसेंस है, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आपराधिक एवं न्यायालीन प्रकरण नहीं होने का नोटराइज्ड षपथपत्र तथा महाविद्यालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों एवं नियमों के पालन करने का नोटराइज्ड षपथपत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। लिफाफा बंद कर उसके उपर निविदा का नाम कैंटिन संचालन हेतु निविदा-लिफाफा-ए तथा निचे निविदा दाता का नाम, पता लिखा जाना आवश्यक होगा।

(ख) **लिफाफा -बी** : इस लिफाफे में निविदा दरें निर्धारित प्रपत्र जो निविदा दस्तावेज में संलग्न है भरी जायेंगी। निविदा दरें स्पष्ट अक्षरों में हाथ से या टंकित कर भरी जा सकती। दरें अंको एवं शब्दों दोनों में भरी जायें

यदि कोई कांटछांट या संशोधन हो तो स्पष्ट लिखते हुए प्रतिहस्ताक्षर करें अंको एवं शब्दों या कांटछांटमें विरोधाभास हो तो अधिकतम दसों को विचार में लिया जायेगा।

(ग) उपरोक्त दोनो लिफाफे अर्थात् लिफाफा -ए एवं लिफाफा -बी एक बड़े लिफाफे में बंदकर नाम पता एवं मोबाईल नं. लिखकर निर्धारित अंतिम तिथि समय के पूर्व कार्यालय प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया 496661 जिला-रायगढ़ छ.ग.में जमा किया जा सकता है अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है। अपरान्ह 03:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नहीं होगा।

10. अनुज्ञप्ति की शर्तें:-

1. अनुज्ञप्ति के निष्पादन के उपरांत संपत्ति का पजेसन जहा है जैसी है के आधार पर सेवा प्रदाता समूह को दिया जायेगा।
2. सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आबंटित संपत्ति का उपयोग कैंटीन व्यवसाय के लिए ही किया जायेगा। संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा जो सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्तिजनक हो।
3. महाविद्यालय परिसर एवं कैंटीन में किसी भी नशीले/मादक पदार्थ का विक्रय एवं सेवन पूर्णतः वर्जित है।
4. कैंटीन में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना होगा एवं सफाई प्रतिदिन फिनायल से करनी होगी।
5. कैंटीन में छात्र-छात्राओं को साफ (ताजा) पानी पिलाने की जिम्मेदारी कैंटीन संचालक की होगी। खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की हो। खाद्य सामग्री का मूल्य बाजार दर से कम हो वर्ष भर मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
6. सेवाप्रदाता कैंटीन संचालक प्राचार्य/ कैंटीन संचालन समिति एवं आई.क्यू.ए.सी. की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण परिवर्तन परिवर्धन नहीं कर सकेगा।
7. सेवाप्रदाता कैंटीन संचालक द्वारा भवन और परिसर में स्थापित फ्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकफिकेशन, सिविल कंस्ट्रक्शन आदि को नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। अनुबंध अवधि कर समाप्ति के उपरांत सभी संपत्ति को पूर्व स्तर पर सुधार कर और भवन की पेंटिंग कलरवासिंग कराकर प्राचार्य को सौंपेगा।
8. अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व धर्मावसान पर सेवाप्रदाता कैंटीन संचालक अपनी सामग्री एवं संपत्ति संबंधित स्थान से अपने व्यय पर हटाकर संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा। अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं होगी।
9. सेवाप्रदाता कैंटीन संचालक अनुबंध पर दी गई अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, बंधक, दान, लीज या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण या अंतरण नहीं करेगा।
10. कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो सेवाप्रदाता कैंटीन संचालक को देना/ करना अपेक्षित है समुचित रूप से दी गई अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह सेवाप्रदाता को संपत्ति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गई है तथा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गई है डाक के माध्यम से पहुंचाई गई मानी जायेगी।
11. सेवाप्रदाता कैंटीन संचालक को खाद्य एवं पेय पदार्थों की निर्धारित दर एवं मात्रा का सूचनापटल में निम्नरित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।
12. कैंटीन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।
13. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान ना होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर- आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा और आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अधीन संपादित होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र खरसिया रायगढ़ होगा।
15. कैंटीन में बाहरी व्यक्ति, संबंधितों व बाहरी छात्र-छात्राओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।
16. कैंटीन का समय महाविद्यालय के समय सारणी अनुसार शुरू हो कर प्रातः 09:30 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। शाम 5:30 बजे के बाद कैंटीन पूर्णतः बंद रखी जावे, कैंटीन खुली पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
17. महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राओं से मृदुल व्यवहार किया जाये।
18. किसी भी अवकाश के दिन बिना कार्यालयीन आदेश के आप कैंटीन नहीं खोलेंगे।
19. कैंटीन प्रत्येक कार्य दिवस पर खुली रहेगी।

20. किसी भी परिस्थिति में सुबह 07.30 बजे से शाम 05.30 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति कैंटिन में नहीं रहेगा। तथा कैंटिन में कार्यरत व्यक्ति (पुरुष/महिला) महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक कहीं भी घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिये।
21. दुकान हेतु आवश्यक आपरेटर, फर्नीचर, आंतरिक बिजली व्यवस्था स्वयं करनी होगी
22. किसी भी प्रकार कि मौखिक या लिखित शिकायत पर प्राचार्य/ कैंटीन संचालन समिति एवं आई.क्यू.ए.सी. को तत्काल आपकी सेवायें समाप्त करने का अधिकार होगा। सत्र के बीच में आपके द्वारा कैंटिन बंद होने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जावेगी।
23. निरुपयोगी वस्तुओं का निस्तारण नियत स्थान पर करना होगा।
24. महाविद्यालय कैंटिन से किसी भी दशा में कोई भी खाद्य सामग्री महाविद्यालय से बाहर सप्लाई नहीं की जा सकेगी और न ही कैंटिन भवन में कोई विज्ञापन किया जा सकेगा।
25. कैंटिन संचालक द्वारा कैंटिन में केवल व्यवसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग कर सकेगा।
26. उपरोक्त सभी शर्तों को पालन करने का षपथ पत्र नोटिफाईड करा कर 03 दिनों के भीतर आपको कैंटिन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
27. आवेदन/भावपत्र स्वीकृत होने पर 50 रु. (पचास रुपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा अनुबंध के बावजूद शर्तों का पालन न होने पर कैंटीन संचालन कि अनुमति निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में प्राचार्य/ कैंटीन संचालन समिति एवं आई.क्यू.ए.सी. का निर्णय अंतिम होगा।
28. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें मान्य है।
29. कैंटीन संचालन हेतु भवन की साईज 29.3X13.8 फीट (कैंटीन कीचन क्षेत्र) एवं 37.2X11.00 फीट (बैठक क्षेत्र) है।
30. भुगतान सभी माध्यम (ऑनलाईन/नगद) से लेना अनिवार्य होगा।
31. खाद्य सामग्री पार्सल का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
32. कैंटीन में आवश्यक समस्त सुरक्षा उपायों की जिम्मेदारी सफल निविदाकार संचालक की स्वयं की होगी। किसी भी दुर्घटना के लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

Reel
A. L. Patel

Dr. P. L. Patel,

Principal
Govt. Arts & Science College
Dist. - Raigarh C.C.
(डॉ. संकश विवारी)
प्राचार्य

शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, खरसिया जिला-रायगढ़ छ.ग.